कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 1579 / 484 / आउशि / शाखा–2 / 10 भोपाल, दिनांक 25.06.2010

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2010–2011 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि विद्वानों से अध्यापन व्यवस्था विषयक।

––00––

प्रदेश के विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकीय पदों के रिक्त होने के कारण पूर्व वर्षो की भंति शैक्षणिक सत्र 2010–11 में भी प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापकों / ग्रंथपाल / क्रीड़ाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्व जनभागीदारी से मानदेय के आधार पर अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाये । यह व्यवस्था केवल रिक्त पदों के विरूद्व वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वर्कलोड के अनुसार होगी ।

कंडिका (1)

अतिथि विद्वानों की व्याख्यान व्यवस्था केवल स्वीकृत प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरूद्व ही की जाएगी । वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण छात्र संख्या एवं वर्कलोड के अनुसार किया जायेगा । वर्कलोड यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित 24 पीरियड प्रति सप्ताह के आधार पर होगा ।

कंडिका (2)

अतिथि विद्वानों का चयन लीड कॉलेज के स्तर पर एक समिति द्वारा किया जायेगा । आवेदन महाविद्यालय में प्राप्त किये जावेगें । इस हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में पंजीबद्व किया जाएगा तथा आवेदक को पावती दी जाएगी पावती में संलग्नकों की सूची एवं संख्या का पूर्ण विवरण होगा । यदि आवेदन में कोई कॉलम अधूरा रह जाता है तो आवेदक से उसकी पूर्ति करवाई जायेगी तथा यदि आवेदक पूर्ति नही

निरन्तर..2...

कर सकेगा तो पावती में उसका अधूरे कॉलम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा । समिति द्वारा आवेदन पत्र एवं प्राप्ति पंजी को सत्यापित किया जाएगा । प्राचार्यो की अध्यक्षता में एक समिति आवेदन पत्रों को प्राप्त कर उसकी समीक्षा करने एवं चयन करने का कार्य करेगी । समिति में लीड महाविद्यालय के प्राचार्य तथा लीड कॉलेज के संबंधित विषयों के विभागाध्यक्ष अथवा वरिष्ठतम शिक्षक सदस्य रहेगे साथ ही कलेक्टर का एक नामांकित प्रतिनिधि भी अनिवार्यतः शामिल रहेगा प्रतिनिधि की उपस्थिति न होने पर चयन प्रक्रिया मान्य नही रहेगी ।

कंडिका (3)

चयन समिति में उस महाविद्यालय के प्राचार्य को भी शामिल किया जावे, जहॉ नियुक्ति की जानी है ।

कंडिका (4)

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को सूची प्रेषित करने में विलंब होगा, अतः नियुक्ति हेतु कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को जानकारी समस्त अभिलेखों सहित भेजी जावे । यदि कोई त्रुटि हुई तो चयन समिति उत्तरदायी होगी ।

चयन सूची का अनुमोदन क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा किया जावेगा । किसी भी त्रुटि की स्थिति में त्रुटि सुधार कर संशोधित सूची को अंतिम रूप देने का दायित्व क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक का होगा ।

कंडिका (5)

चयन प्रक्रिया पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगी । पैनल बनाने का कार्य सामान्यतः यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार किया जायेगा । चयन हेतु वरीयता क्रम निम्नानुसार रहेगा :—

श्रेणी—1: संबंधित विषय में नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण या पी.एच.डी. धारक

श्रेणी—2: संबंधित विषय में एम.फिल

श्रेणी—3: यू.जी.सी. के मापदण्ड अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त ।

निरन्तर..3...

श्रेणी–4: यदि स्नातकोत्तर विषय में विशेषज्ञता किसी एक विषय की हो तो उसे उसी विषय के लिये मान्य किया जायेगा । उदाहरणार्थ संगीत में वादन के विद्यार्थियों की गायन में अर्हता नही मानी जायेगी । इसी प्रकार आधुनिक इतिहास के विद्यार्थियों को मध्यकालीन अथवा प्राचीन इतिहास में अर्ह नही माना जायेगा । इसी प्रकार प्राणिशास्त्र तथा वनस्पतिशास्त्र के लिए इस विषय को पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा इस विषय के योग्य अभ्यर्थियों अनुपलब्ध होने की दशा में ही पर्यावरण अथवा अन्य संबंधित विषयों के अभ्यार्थियों के चयन पर विचार किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 14 अगस्त, 2003 के अनुसार सहायक प्राध्यापक हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये है –

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर विहित शैक्षणिक अर्हता, स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के अंकों का प्रतिशत 50 प्रतिशत होगा

(ख) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (एन.ई.टी.) या मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी) या पी.एच.डी. उपाधि धारक ।

श्रेणी– 1: के व्यक्तियों के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएग। इस श्रेणी का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो श्रेणी–2 के अतिथि विद्वानों के नामों पर विचार किया जाएगा । श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के व्यक्ति उपलब्धन होने पर ही श्रेणी तीन के उच्चतम योग्यता वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जायेगा ।

निरन्तर..4...

कंडिका (6)

इस प्रकार तैयार की गई विभागवार सूची को संचालनालय एवं कालेज की वेबसाईट पर अनिवार्यतः प्रकाशित किया जायेगा जिसमें समस्त आवेदकों के निर्धारित परीक्षा में अंक तथा अन्य विशेषतायें जैसे – एन.एस.एस., एन.सी.सी., राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने का प्रमाण–पत्र भी दर्शाया जायेगा ।

कंडिका (7)

क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपालों की चयन प्रकिया :–

क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल के लिये शासन द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है :–

1– क्रीड़ा अधिकारी

व्यायाम शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और व्यायाम शिक्षा में स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 से कम न हो ।

2– ग्रंथपाल

पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत 50 से कम न हो ।

मेरिट का निर्धारण एवं अनुभव चयन हेतु वरीयता कम निम्नानुसार रहेगाः–

श्रेणी–1 संबंधित विषय में पी.एच.डी.

श्रेणी–2 संबंधित विषय में एम.फिल.

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि श्रेणी–एक,दो के उम्मीदवार न मिलने पर न्यूनतम योग्यता (स्नातकोत्तर उपाधि) वाले उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जा सकता है ।

निरन्तर..5...

कंडिका (8)

अतिथि विद्वानों की चयन प्रक्रिया के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि चयनित उम्मीदवार के विरूद्व पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है । इसके लिये चयननित उम्मीदवार से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाये कि उसके विरूद्व पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है । साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्वशासकीय/अशासकीय सेवा में नही है । अतिथि विद्वान एक साथ दो महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नही कर सकेगा । शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही उम्मीदवार को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जायेगा । अतिथि विद्वान किसी भी संस्था में अवैतनिक कार्य करने का आवेदन दे तो सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात ही महाविद्यालय निर्धारित कालखण्डों के पश्चात ही उक्त अवैतनिक कार्य कर सकेगें । सामान्यतः इसकी अनुमति नही दी जाना चाहिये क्योंकि कक्षाओं में अध्यापन के लिये अतिथि विद्वानों को तैयारी करने के लिये समय की आवश्यकता होती है ।

कंडिका (9)

प्रथम आमंत्रण जारी करने के पश्चात् अभ्यर्थियों (अतिथि विद्वान) पॉच दिवस में ज्वाइंन नही करता है तो जिले में उपलब्ध मेरिट सूची के अनुसार कमशः पॉच दिवस का अवसर प्रदान करते हुए अतिथि विद्वानों को समय—सीमा में आमंत्रित करना सुनिश्चित करें ।

प्रथम आमंत्रण पत्र प्राप्त करने के बाद यदि संबंधित के द्वारा उस महाविद्यालय को छोड़कर किसी अन्य महाविद्यालय में अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रण पत्र चाहा है तो उन्हें संबंधित जिले की सूची में सबसे अंत में रखा जायेगा और समस्त प्रतिभागियों को अवसर देने के बाद भी यदि पद रिक्त रहता है तभी किसी अतिथि विद्वान को दूसरा आमंत्रण पत्र जारी किया जायेगा ।

निरन्तर..6...

कंडिका (10)

प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत व्यक्तियों की पारस्परिक मेरिट तय करते समय स्नातक स्तर के प्राप्तांक प्रतिशत के 30 प्रतिशत अंक, स्नातकोत्तर स्तर के प्राप्तांक के प्रतिशत के 40, पी.एच.डी. या नेट/स्लेट उत्तीर्ण करने की दशा में 14 अंक एवं महाविद्यालयीन कक्षाओं में शिक्षण अनुभव के लिए 4 अंक प्रतिवर्ष के आधार पर अधिकतम 16 अंक, इस प्रकार अधिकतम 100 अंकों के आधार पर गुणानुक्रम तैयार किया जाएगा ।

अतिथि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पिछले वर्षो के आमंत्रण पत्रों को जिस पर उन्होंने वास्तविक शिक्षण कार्य किया और प्राचार्य द्वारा प्रदत्त पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों को ही अनुभव के लिये जोड़ा जाएगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों में जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया होगा उसी अनुभव को अधिभार के रूप में शामिल किया जायेगा । एक अकादमिक सत्र में 220 से 151 कालखंड के मध्य 4 अंक तथा 101 से 150 कालखंड के मध्य तीन अंक, 51 से 100 कालखंड के मध्य दो अंक एवं 50 एवं उससे कम कालखण्ड होने पर एक अंक दिया जावेगा ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कुल प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार दिया जायेगा । इसी प्रकार विकलांग अभ्यार्थियों को भी 10 प्रतिशत अंको का अधिभार दिया जायेगा ।

विगत सत्र में किसी अतिथि विद्वान के विरूद्व कोई शिकायत प्राप्त हुई है, तो उस पर आयुक्त कार्यालय से स्पष्ट लिखित निर्देश प्राप्त किये बिना किसी भी स्थिति में योग्यता/वरियता क्रम को खंडित नहीं किया जायेगा ।

निरन्तर...7..

कंडिका (11)

अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माने जाएंगे । और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत ''**लोक सेवक**'' नही माने जाते है ।

कंडिका (12)

प्रायोगिक कक्षाओं की गणना करते समय 3 प्रायोगिक कक्षाओं को 2 सैद्वांतिक कक्षाओं के बराबर मान्य किया जाएगा ।

कंडिका (13)

आमंत्रण–पत्र, सचिव जनभागीदारी समिति के हैसियत से जारी किया जावेगा । यह आमंत्रण–पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजा जायेगा । वरियता में प्रथम उम्मीदवार के उपस्थित न होने पर पॉच दिन इंतजार करने के बाद ही द्वितीय वरियता प्राप्त उम्मीदवार को आमंत्रण–पत्र दिया जायेगा । रजिस्टर्ड पत्रों की पावती प्राचार्य अपनी अभिरक्षा में रखेगें ताकि आवश्यक होने पर उन्हें संचालनालय में बुलाया जा सके । अध्यापन हेतु आमंत्रित अतिथि विद्वानों की मानदेय भुगतान व्यवस्था संबंधित महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा की जायेगी

उपरोक्त व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा जनभागीदारी समिति को की जावेगी ।

मानदेय

कंडिका (14)

(अ) शिक्षकीय कार्य हेतु 40/45 मिनिट के एक व्याख्यान के लिए रूपये 120/– (रूपये एक सौ बीस मात्र) या शासन द्वारा निर्धारित प्रति व्याख्यान मानदेय देय होगा । अतिथि विद्वान व्यवस्था के अंतर्गत् प्रत्येक अतिथि एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पीरियड ले सकेगें ।

निरन्तर..8...

(ब) अतिथि विद्वान व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारियों को रूपये 360/-(रूपये तीन सौ साठ मात्र) प्रति कार्य दिवस पर भुगतान किया जायेगा ।

कंडिका (15)

जनभागीदारी समितियों द्वारा मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त होने पर परीक्षण के बाद शासन द्वारा समितियों को अनुदान स्वीकृत किया जावेगा । उक्त अनुदान लेखा प्राचार्यो द्वारा विधिवत् संधारित किया जाऐगा जो लेखा अंकेक्षण के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा । प्रतिदिन अधिकतम रूपये 480/-(रूपये चार सौ अस्सी मात्र) या शासन द्वारा निर्धारित मानदेय ही मान्य होगा । यह लेखा प्रतिमाह ई-मेल से अनिवार्यतः संचालनालय को भेजा जायेगा । लेखा प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय को उस माह में राशि की आवश्यकता नही तथा बाद में भी इस अवधि की राशि की प्रतिपूर्ति नही की जायेगी । अतः लेखा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई-मेल से भेजना सुनिश्चित करें ।

कंडिका (16)

उपर्युक्तानुसार महाविद्यालय के लिए मानदेय हेतु आवश्यक राशि का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक द्वारा अभिप्रमाणित रिक्त पदों की जानकारी सहित प्राचार्य द्वारा संचालनालय की बजट शाखा को भेजा जायेगा ।

कंडिका (17)

कतिपय प्रकरणों में किसी प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक का आहरण किसी अन्य महाविद्यालय से करने की स्थिति में वेतन आहरित करने वाले महाविद्यालय के पद को रिक्त नहीं माना जायेगा तथा ऐसे पदों के विरूद्व अतिथि विद्वानों की नियुक्ति नहीं की जायेगी ।

निरन्तर....9...

कंडिका (18)

जनभागीदारी समितियों द्वारा उक्तानुसार महाविद्यालयों में मानसेवी व्याख्यान व्यवस्था के लिये नियुक्ति पत्र जारी न किए जाएं और न ही किसी प्रकार जनभागीदारी समिति को इस संदर्भ में नियोक्ता माना जाए । प्राचार्य द्वारा विनम्र भाषा में अतिथि व्याख्यान हेतु विद्वानों को आमंत्रित करने के लिये पत्र भेजें जाएं । ये आमंत्रण पत्र प्रत्येक व्याख्यान के लिये पृथक–पृथक या एक से अधिक व्याख्यान के लिये जारी किए जाए । प्रति व्याख्या हेतु मानदेय दर एवं प्रति व्याख्यान की अवधि 40/45 मिनिट का उल्लेख आमंत्रण पत्र में आवश्यक किया जाए

कंडिका (19)

आमंत्रण पत्र सचिव जनभागीदारी समिति की हैसियत से जारी किये जायेगें । इस कार्य हेतु कोई अनुभव प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जावेगा केवल कार्य दिवस एवं कालखण्ड की संख्या एवं भुगतान राशि का पत्रक प्राचार्य द्वारा जारी किया जावेगा ।

कंडिका (20)

अतिथि व्याख्यान व्यवस्था के विज्ञापन संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर से उनके क्षेत्र के लिये जारी किया जायेगा, तथा इसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि आवेदन पत्र महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों के सचिव की ओर से आमंत्रित किये जाते है । यह विज्ञापन एक संक्षिप्त विज्ञापन होगा जिसमें अर्हताओं, आवेदन पत्र किस प्रकार का कब तक और किसे प्रस्तुत करना है तथा मानदेय होगा, की जानकारी (क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप संलग्न है) विज्ञापन में यह उल्लेख होगा कि महाविद्यालयवार तथा विषयवार अतिथि व्याख्यान की आवश्यकता की जानकारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से अथवा महाविद्यालय के नोटिस–बोर्ड से अथवा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर से प्राप्त की जा

निरन्तर...10...

<u>सकेगी ।</u> विज्ञापन के प्रकाशन के बाद आवेदकगण निर्धारित किये गये कैलेण्डर अनुसार अपना आवेदन संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रस्तुत करेगें । महाविद्यालय के सचिव, जनभागीदारी समिति (प्राचार्य) द्वारा संबंधित को पैनल में रखे जाने की सूचना दी जायेगी तथा अध्यापन हेतु आमंत्रण पत्र रजिस्टर्ड डाक से जारी किये जायेगें, तथा रसीद संभाल कर रिकार्ड में रखी जायेगी । चयनित लोगों की सूची का प्रकाशन नोटिस–बोर्ड पर तत्काल किया जावेगा ।

कंडिका (21)

उपरोक्त अध्यापन व्यवस्था आगामी शिक्षा सत्र 2009–10 के लिए अथवा प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों/ग्रंथपाल/क्रीड़ा अधिकारी की नियमित पदस्थापना दिनांक तक या महाविद्यालयीन आवश्यकता के अनुसार जो भी पहले हो पूर्णतः अस्थाई रूप से जारी रहेगी । <u>किसी शिक्षक की नियमित पदस्थापना होने के परिणामस्वरूप पद भर जाने की स्थिति में हटाये गये अतिथि विद्वानों को संभाग में किसी अन्य रिक्त पद (यदि हो तो) पर कार्य करने का विकल्प दिया जा सकेगा ।</u>

अतिथि विद्वानों के द्वारा समय–समय पर महाविद्यालय छोड़ने के कारण हुई रिक्तियों की समस्या को हल करने के लिए यह निर्देश दिये जाते है, कि प्रथम प्राथमिकता के पश्चात शेष बचे अतिथि विद्वानों को जिला स्तर पर लीड कालेज से मेरिट आधार पर सूची तैयार कर उसे वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाए तथा कोई भी रिक्त उत्पन्न होने पर संबंधित सूची में से योग्यता के गुणानुक्रम के अनुसार आगामी आवेदक को रिक्त पद पर अध्यापन कार्य करने के लिए प्रेषित कर लिया जाए । किन्तु स्थानान्तरणों के प्रकरण में सर्व प्रथम फाल आउट के प्रावधानों के अन्तर्गत अतिथि विद्वानों को अवसर दिया जावे तथा उनके द्वारा अस्वीकार करने के पश्चात ही उपरोक्त निर्देशों के अंतर्गत व्यवस्था की जाए ।

निरन्तर....11..

कंडिका (22)

संस्कृत महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की उपरोक्तानुसार व्यवस्था केवल शैक्षणिक राजपत्रित दो के लिये लागू होगी । अराजपत्रित दो के लिए पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं ।

कंडिका (23)

स्व–वित्तीय पाठ्यक्रमों के तहत जनभागीदारी समिति द्वारा शैक्षणिक पदों पर अतिथि विद्वानों के चयन की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही की जावेगी किन्तु उन्हें दिये जाने वाले मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान जनभागीदारी समिति के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत होगा ।

कंडिका (24)

सेमेस्टर पद्वति में अतिथि विद्वानों को 1 जुलाई 2010 से 31 मई 2011 तक अधिकतम 08 माह प्राचार्य आवश्यकतानुसार रख सकेगें ।

उपरोक्त कार्यवाही समय–सीमा में संलग्न कलैण्डर अनुसार पूर्ण की जाना है ।

Ashish
25.6.2010

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त / सचिव
उच्च शिक्षा म0प्र0शासन

पृ0 कमांक 1580/484/आउशि/शाखा–2/10 भोपाल, दिनांक 25.06.2010

प्रतिलिपिः–

1– माननीय मंत्री उच्च शिक्षा के निज सहायक मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।

2– महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।

3– प्रमुख मुख्य सचिव,म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग ।

4– समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।

5– समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश ।

6– समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश ।

7– समस्त अध्यक्ष,जनभागीदार समिति, समस्त शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश ।

8– उपसचिव,मध्य क्षेत्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विठ्ठन मार्केट, भोपाल ।

9– समस्त अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

10– समस्त कोषालय एंव उपकोषालय अधिकारी,मध्यप्रदेश

..................की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

25.6.10

आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा म0प्र0शासन

निरन्तर..13...

//अतिथि विद्वानों की चयन प्रकिया हेतु कलेण्डर//

1–	विज्ञापन का प्रकाशन	26 जून 2010 (अतिरिक्त संचालक स्तर से)
2–	आवेदन की अंतिम तिथि	06, जुलाई 2010 तक (संबंधित महावि0 के प्राचार्य को)
3–	आवेदनों का चयन प्रकिया पूर्ण करना .	10,जुलाई 2010 को
4–	अंतिम चयन सूची का प्रकाशन	12, जुलाई 2010 को
5–	अध्यापन हेतु आमंत्रण पत्र जारी करना	14,जुलाई, 2010

Ashish
25.6.2010

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त/सचिव
उच्च शिक्षा म0प्र0शासन

निरन्तर..14...

विज्ञापन

--0--

कार्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा...............

विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों मेंरिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वान की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालयों की जनभगीदारी समितियों के सचिव की ओरसे आवेदन आमंत्रित किए जाते है ।

(1) आवेदन किसे प्रस्तुत करना है –

विधिवत भरे हुए एंव पूर्ण आवेदन पत्र 06.07.2010 तक सीधे संबंधित शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य को समस्त प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियों सहित प्राप्त हो जाना चाहिए । महाविद्यालयवार,विषयवार अतिथि विद्वान की आवश्यकता की जानकारी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य से अथवा उस महाविद्यालय के नोटिस–बोर्ड पर अथवा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय पर देखी जा सकती है ।

(2)– मानदेय–

45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये 120/–(रूपये एक सौ बीस केवल) या शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रति व्याख्यान मानदेय देय होगा । अतिथि विद्वान के अन्तर्गत एक दिवस में अधिकतम 4 व्याख्यान/पररियड ले सकेंगे ।

अतिथि विद्वान व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रन्थपाल एंव क्रीडा अधिकारी को रूपये 360/– (रूपये तीन सौ साठ मात्र) प्रति कार्य दिवस के आधार पर भुगतान किया जाएगा ।

(3)– चयन हेतु मापदण्डः–

(अ) चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी । पैनल बनाने का कार्य यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा ।चयन हेतु वरीयता क्रम निम्नानुसार रहेगाः–

श्रेणी–1 संबंधित विषय में नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण या पी.एच.डी धारक
श्रेणी–2 संबंधित विषय में एम0फिल0

निरन्तर..15...

श्रेणी–3 यू0 जी0 सी0 मापदण्डों के अनुरूप न्यूनतम अर्हता रखने वाले अभ्यार्थियों के सर्वोच्चांक प्राप्त उम्मीदवार ।

(स्पष्टीकरण–मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 14 अगस्त 03) के अनुसार सहायक प्राध्यापक हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये है:–

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय – समय पर विहित शैक्षणिक अर्हता,स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अंको का प्रतिशत 50 प्रतिशत होगा ।

(ख) नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एन.ई.टी. या मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा एस एल ई टी या पी.एच.डी उपाधि धारक ।

श्रेणी–1 के व्यक्तियों के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा । इस श्रेणी का कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो श्रेणी–2 एंव श्रेणी–2 के व्यक्ति उपलब्ध न होने पर ही श्रेणी–3 के व्यक्तियों के नामों पर विचार किया जाएगा ।

क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल के लिये निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हताएं निर्धारित की गई है ।

क्रीड़ा अधिकारी –

व्यायाम शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ उपाधि और व्यायाम शिक्षा में स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत से कम न हो .

ग्रंथपाल–

पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक स्तर पर कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 से कम न हो ।

अनुभव हेतु पृथक से अधिमान्यता दी जायेगी । अतिथि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पिछले वर्षो के आमंत्रण पत्रों एवं प्राचार्य द्वारा प्रदत्त भुगतान पत्रकों के आधार पर वास्तविक शिक्षण हेतु अनुभव के लिये अंक दिये जावेंगे । यह स्पष्ट

निरन्तर..16...

किया जाता है कि केवल शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों ने कार्य किया होगा उसी अनुभव को अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को (क्रीमी लेयर छोड़कर) एवं 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग आवेदको को सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कुल प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार दिया जाएगा ।

आवेदन एक ही संभाग के अन्तर्गत एक से अधिक महाविद्यालयों हेतु आवेदन कर सकते हैं आवेदन की अन्तिम तिथि 06.07.2010 के पूर्व प्राप्त हों, यह आवेदक का दायित्व होगा । किसी भी प्रकार के विवाद के बारे में आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक